

## प्रेस नोट

दिनांक- 27.09.2020

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

थाना शिवरतनगंज पुलिस द्वारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित शातिर अपराधी गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री दयाराम सरोज के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री आनन्द कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना शिवरतनगंज धीरेन्द्र कुमार सिंह के निकट नेतृत्व में उ०नि० उपेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 291/20 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित शातिर अपराधी गुलाम मोहम्मद पुत्र भुलई नि० नेवाजगढ़ मजरे कोटवा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी को जमुनीपुर कोटवा मोड़ के पास से समय करीब 04:45 बजे भोर में गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर अपराधी है । थाना शिवरतनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- गुलाम मोहम्मद पुत्र भुलई नि० नेवाजगढ़ मजरे कोटवा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।

### पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु०अ०सं० 291/20 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० उपेन्द्र प्रताप सिंह थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
2. हे०का० महेश कुमार थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
3. का० विपिन तिवारी थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 718/08 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
2. मु०अ०सं० 764/08 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
3. मु०अ०सं० 552/13 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
4. मु०अ०सं० 205/15 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
5. मु०अ०सं० 207/15 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
6. मु०अ०सं० 87/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
7. मु०अ०सं० 291/20 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी । ।